निबंधित

पत्रांक–1 / वि0 स0–4002 / 2008–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– अनियोजन सांकेतक भत्ता योजना–वर्ष 1981–82 के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में नियुक्त कर्मियों की अनियमित सेवा संपुष्टि की जाँच के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालीय पत्रांक–(नि)–1028 दिनांक–22.07.2008, स्मार पत्रांक–(नि)–1833 दिनांक–28.11.2008, पत्रांक–(नि)–113 दिनांक–27.02.2009, पत्रांक–(नि)–782 दिनांक–11.08.2009, पत्रांक–(नि)–1070 दिनांक–14.10.2009, पत्रांक–(नि)–112 दिनांक–02.02.2010, पत्रांक–(नि)–547 दिनांक–18.05.2010, पत्रांक–(नि)–932 दिनांक–18.05.2010 पत्रांक–(नि)–902 दिनांक–03.11.2011, पत्रांक–(नि)–586 दिनांक–17.07.2014, पत्रांक–(नि)–809 दिनांक–11.09.2014, स्मार पत्रांक –(नि)–267 दिनांक–10.03.2015, स्मार पत्रांक–668 दिनांक–02.07.2015 एवं पत्रांक–587 दिनांक–12.05.2016

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक–198 दिनांक 08.02.2016 (छायाप्रति संलग्न) एवं अंतिम स्मार पत्रांक–587 दिनांक–12.05.2016की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मा0 स0 वि0 प0 श्री महाचन्द्र प्रसाद का 158 वें सत्र का तारांकित प्रश्न सं0–एल–1 पर आधारित आश्वासन प्रश्न जो अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना अंतर्गत अस्थायी पदों पर कार्यरत् कर्मियों की नियम के अनुपालन के बिना वर्ष 1994 में ही सेवा संपुष्टि करने से संबंधित है, के संबंध में अपने स्तर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एवं अनियमित कार्य के लिए जवाबदेही का निर्धारण करते हुए पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो आज तक अप्राप्त है।

विदित हो कि मामला विधान मंडलीय आश्वासन से आच्छादित है एवं इस लंबित आश्वासन के संबंध में विधान परिषद् सचिवालय द्वारा लगातार स्मार पत्र प्राप्त हो रहें हैं, जिसका अनुपालन वांछनीय है। उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक स्मारों के बावजूद भी विगत 8 (आठ) वर्षो से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् आज तक वांछनीय पूर्ण जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतएव वांछित प्रतिवेदन निदेशालय नियोजन को दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकी मामले का निष्पादन किया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु श्री मा0 स0 वि0 प0 के महाचन्द्र प्रसाद सिंह, के बि0 वि0 प0 158 वें सत्र के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–एल–1 एवं इस पर आधारित आश्वासन की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(के० सेंथिल कुमार)
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।
(कृ0पृ0उ0)

mk567

ज्ञापांक–1/वि0 स0–4002/2008– 247 पटना–01, दिनांक– 13.03.18

प्रतिलिपि– सरकार के उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3/श्रम वि0वि0प0 (आश्वा0)–601/2008 श्रं0सं0–333 दिनांक–06.02.18 के आलोक में सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुलग्नक सहित आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

13/3/18

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

rnk568

(602)

1,44 (5)

ज्ञापांक .... (प्र०)-वि०प०

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

सेवा में

श्रम संसाधन विभाग

प्रश्न विभाग ... 200

श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, स० वि० प० द्वारा बिहार विधान परिषद् ...

पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या 1221 .... जिस रूप में सभापति द्वारा स्वीकृत किया गया है,

संलग्न है।

इन तारांकित प्रश्नों को सदन के कार्यक्रम पर लाये जाने की तिथि ...

अवर सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् के 15वें सत्र के लिए श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०प० से तारांकित प्रश्न, प्राप्त ।

प्रश्न-1 क्या मंत्री, श्रम/नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार अनियोजन संकेतक भत्ता योजना अन्तर्गत तृतीय वर्ग के कर्मचारी को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्रांक-659 दि0-20.5.2006 के आलोक में समायोजन करना है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के आलोकमें सिवान जिला में समाहर्त्ता द्वारा अभियोजन संकेतक भत्ता योजना अन्तर्गत कार्यरत लिपिक को समाहर्त्ता, सिवान द्वारा वर्ष 1994 में ही रिक्त पद के विरूद्ध सेवा सम्पुष्ट कर समायोजित कर ली गई है;

(ग) क्या यह सही है कि सिवान जिला समायोजित लिपिक को पुनः दूसरे जिला में समायोजित कर दिया गया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो समायोजित लिपिक के पुनः दूसरे जिला में समायोजित करने का क्या औचित्य है क्या सरकार उक्त आदेश को रद्द करना चाहती है, नहीं तो क्यों?